Details of KYC Documents

Any one document from the Officially Valid Document is only allowed. They are:

a) Passport,
b) Driving license,
c) Permanent Account Number (PAN) Card,
d) Voter's Identity Card issued by Election Commission of India,
e) Job card issued by NREGA duly signed by an officer of the State Government,
f) Letter issued by the Unique Identification Authority of India containing details of name, address and Aadhaar number

It is implied that proof of address also follows from the above documents only.

In view of the change in the definition of 'Officially Valid Documents,' henceforth, only the documents mentioned in the revised PML Rules would be accepted for opening accounts of individuals**.** Banks would not have the discretion to accept any other document for this purpose.

RBI guidelines also provides that 'simplified measures' may be applied for verifying the identity of the customers in case of 'Low Risk' Customers, taking into consideration the type of customer, business relationship and value of transactions based on the overall money laundering risk involved. In respect of low risk category of customers, where simplified measures are applied, the following documents shall be deemed to be "officially valid document".

(i) Identity card with applicant's photograph issued by Central/State Government Departments, Statutory/Regulatory Authorities, Public Sector Undertakings, Scheduled Commercial Banks, and Public Financial Institutions; OR
(ii) Letter issued by a gazetted officer, with a duly attested photograph of the person;

Bank may develop new product for 'Low Risk' customers, who can be applied simplified measures for verifying the identity of the customers with suitable monetary limit restrictions.

For the limited purpose of proof of address the following additional documents are deemed to be OVDs under 'simplified measures'.
(a) Utility bill which is not more than two months old of any service provider (electricity, telephone, postpaid mobile phone, piped gas, water bill);
(b) Property or Municipal Tax receipt;
(c) Bank account or Post Office savings bank account statement;
(d) Pension or family pension payment orders (PPOs) issued to retired employees by Government Departments or Public Sector Undertakings, if they contain the address;
(e) Letter of allotment of accommodation from employer issued by State or Central Government departments, statutory or regulatory bodies, public sector undertakings, scheduled commercial banks, financial institutions and listed companies. Similarly, leave and license agreements with such employers allotting official accommodation; and
(f) Documents issued by Government departments of foreign jurisdictions and letter issued by Foreign Embassy or Mission in India.

The additional documents mentioned above shall be deemed to be OVDs under 'simplified measure' for the 'low risk' customers for the limited purpose of proof of address where customers are unable to produce any OVD for the same.

केवाईसी दस्तावेज के विवरण

वैध दस्तावेज से कोई एक दस्तावेज की ही अनुमति है । ये हैं:-

(ए) पासपोर्ट

(बी) ड्राइविंग लाइसेंस

(सी)पैन कार्ड

(डी)चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटर आईडी कार्ड

(ई) नरेगा द्वारा जारी कोई जॉब कार्ड जो राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो

(एफ) यूआईएआई द्वारा जारी लैटर जिसमें नाम, पते एवं आधार नंबर के विवरण हों ।

यह स्पष्ट है कि पते का सबूत केवल उपरोक्त दस्तावेज से ही हो ।

"ऑफिशियली वैध दस्तावेज " की परिभाषा में बदलाव को ध्यान में रखते हुए खाता खोलने के लिए संशोधित पीएमएल नियमों में उल्लिखित दस्तावेज ही स्वीकार किए जाएंगे । बैंकों को इस उद्देश्य के लिए कोई अन्य दस्तावेज स्वीकार करने की अनुमति नहीं होगी ।

आरबीआई दिशानिर्देश यह भी उपलब्ध कराते हैं कि "सरलीकृत उपाय" को कम जोखिम वाले ग्राहकों के मामले में ग्राहकों की पहचान को सत्यापित करने के लिए ग्राहक का प्रकार, व्यावसायिक संबंध, शामिल धनशोधन जोखिम पर आधारित संव्यवहारों की कीमत पर विचर करके लागू किए जा सकते हैं । कम जोखिम वाले ग्राहकों के संबंध में, जहां "सरलीकृत उपाय" लागू हैं, वहां निम्नलिखित दस्तावेज "ऑफिशियली वैध दस्तावेज" माने जाएंगे ।

(1) केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों संवैधानिक/विनियामक प्राधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों आदि द्वारा जारी आवेदक के फोओ के साथ पहचान पत्र

(2) राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पत्र, व्यक्ति के विधिवत सत्यापित फोटो सहित बैंक "कम जोखिम वाले ग्राहकों" के लिए नया उत्पाद विकसित कर सकते हैं, पते के सबूत के सीमित उद्देश्य के लिए "सरलीकृत उपाय" के तहत निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज ओवीडी माने जाएंगे ।

(ए) यूटिलिटी बिल, जो किसी सेवा प्रदाता के दो महीने से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए ।

(बिजली, टैलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल फोन, पाइप्ड गैस, पानी बिल)

(बी) प्रौपर्टी अथवा म्यूनिसिपल कर रसीद

(सी) बैंक खाता अथवा पोस्ट ऑफिस बचत बैंक खाता विवरण

(डी)सरकारी विभाग अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी (पीपीओ) यदि इनमें पता सम्मिलित है ।

(ई) राज्य अथवा केन्द्र सरकार के विभागों, सांविधिक अथवाविनियामक संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्थान एवं सूचीबद्ध कम्पनियों द्वारा जारी नियोक्ता से आवास का आवंटन पत्र इसी प्रकार (आवंटित सरकारी आवास) ऐसे नियोक्ताओं के साथ छुट्टी तथा लाइसैंस करार तथा

(एफ) सरकारी विभागों द्वारा जारी दस्तावेज तथा भारत में विदेशपी दूतावास अथवा मिशन द्वारा जारी पत्र

उल्लिखित अतिरिक्त दस्तावेज पते के सबूत के सीमित उद्देश्य हेतु जहां ग्राहक कोई ओवीडी प्रस्तुत करने में असमर्थ हों, वहां "कम जोखिम वाले ग्राहकों" के लिए "सरलीकृत उपाय" के तहत ओवीडी माने जाएंगे ।